पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 290/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक-16/17.09.2024 को थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा ग्राम देवकली तारन में हुई हत्या में वांछित मुख्य आरोपी सहित 02 अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया तथा हत्या की घटना में प्रयुक्त लाइसेन्सी बन्दूक व कारतूस को बरामद किया गया है।

थाना- मुबारकपुरः ग्राम देवकली तारन मे हुई हत्या में वांछित मुख्य आरोपी सहित 02 अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार; हत्या की घटना में प्रयुक्त लाइसेन्सी बन्दूक व कारतूस बरामद।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.2024 को वादी मुकदमा योगेन्द्र सिह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्राम अतरडीहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ ने थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दी कि प्रतिवादी रामाश्रय चौरसिया (मुल्ला) द्वारा वादी के भाई को 50,000 रुपया में गाय बेचने हेतु तय किया गया तथा बयाना के तौर पर 5000 रुपया ले लिया गया और पुनः उसी गाय को रमेश दुबे को बेच दिया गया तथा वादी के भाई द्वारा पूछने पर कहना कि मै गाय को रमेश दुबे को बेच दिया हूँ जो करना है कर लेना तथा वादी व वादी के भाई द्वारा उस गाय के बारे मे बात करने के लिये रमेश दुबे के पास ग्राम मोईनाबाद सी0सी0 रोड पर पहुँचकर रमेश दुबे से बात करना कि उसी समय रमेश दुबे के लड़के अमित दुबे, सुरेश दुबे, बब्लू दुबे आदि का मौके पर आ गये तथा बात चीत के दौरान वादी व वादी के भाई को मारने-पीटने लगे तथा उसी मे से किसी एक व्यक्ति द्वारा दौड़कर घर से असलहा(बन्दुक) लेकर आया और वादी के भाई को गोली मार दी गयी, तथा शेष व्यक्तियो द्वारा ईट पत्थर चलाया गया व वादी के भाई को इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे मृत्यु हो गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 369/2024 धारा 191(2),191(3),115(2),125,61(2),103(1) BNS व 25/27/30 आयुध अधि0 बनाम 1.रमेश दुबे पुत्र अज्ञात 2- अमित दुबे पुत्र रमेश दुबे 3-सुरेश दुबे पुत्र रमेश दुबे 4-बब्लू दुबे पुत्र रमेश दुबे निवासीगण देवकली तारन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 5- रामाश्रय चौरसिया (मुल्ला) पुत्र अज्ञात सा0 इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार द्वारा की जा रही है।

➡ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा उक्त घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना कारित किये जाने वाले अभियुक्तों के गिरफ्तारी के हेतु कुल पाँच टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम मेः-

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक- 16/17.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह पुलिस बल के बनकट बाजार मे मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी के दृष्टिंगत अमिलो बाजार मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुई कि वांछित अभियुक्त सुरेश दुबे इस समय अरविन्द द्विवेदी के मकान के पीछे झाड़िया मे छिपा है उसके पास लाइसेन्सी बन्दूक व कारतूस भी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर मय हमराह पुलिस बल के मौके पर पहुंचकर पकड़ लिया गया। जिसका नाम सुरेश दुबे पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र दूबे निवासी ग्राम देवकली तारन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 58 वर्ष है। अभियुक्त के कब्जे से एक बन्दूक (SBBL) व कारतूस का पट्टा जिसमे कुल 17 कारतूस की बरामदगी की गयी। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 01.13 बजे(AM) गिरफ्तार किया गया।

➡ थाना प्रभारी मुबारकपुर पुनः थाना स्थानीय से रवाना होकर अन्य वांछित अभियुक्तों की तलाश मे क्षेत्र मे मामुर थे कि मुखबिर खास की निशांदेही पर वांछित अभियुक्त रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला पुत्र स्व0 सूर्यबली चौरसिया निवासी ग्राम इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को उसके घर ग्राम इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ से समय करीब 08.35 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी का स्थानः- अभियुक्त सुरेश दुबे को ग्राम देवकली तारन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ, गिरफ्तारी का समय- 01.13 AM दिनांक 17.09.2024 तथा अभियुक्त रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला को ग्राम इब्राहीमपुर से समय करीब 08.35 बजे गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त सुरेश दुबे ने पूछताछ करने पर बताया कि रामाश्रय चौरसिया अपने गाय को तेजबीर सिंह को बेचा था। तेजबीर सिंह ने रामाश्रय चौरसिया को 5,000/- बयाना (अग्रिम धनराशि) दिया था। उसी गाय को पुनः रामाश्रय चौरसिया द्वारा मुझे पचास हजार रुपये में बेच दिया। जब मै गाय खरीद कर ले जा रहा था तभी रास्ते मे मोइनाबाद सीसी रोड पर पठान बस्ती के पास तेजबीर सिंह व उसके भाई योगेन्द्र सिंह आ गये और मुझसे कहा सुनी करने लगे तभी मेरे द्वारा अपनी लाइसेन्सी बन्दूक घर से लाकर उसी बन्दूक से मैने तेजबीर सिंह को गोली मार दिया था।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 369/2024 धारा 191(2),191(3),115(2),125,61(2),103(1) BNS व 25/27/30 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सुरेश दुबे पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र दूबे निवासी ग्राम देवकली तारन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 58 वर्ष
2. रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला पुत्र स्व0 सूर्यबली चौरसिया निवासी ग्राम इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी:-

1.एक लाइसेन्सी बन्दूक .12 बोर मय 17 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार, हे0का0 मनोज कुमार, का0 प्रदीप चन्द, का0 मदन शर्मा, म0का0 आकृति राव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़